डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2001—वैशाख 11, शक 1923

कृषि विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक 52/कृषि प्रकोष्ठ/2001/14-2.—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (क्रमांक 46 सन् 1968) की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा समस्त उप संचालकों, कृषि तथा परियोजना कार्यपालन अधिकारियों, रायपुर को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th April 2001

NOTIFICATION

No. 52/Agri-P/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of Insecticide Act, 1968 (No. 46 of 1968), the State Govt. hereby appoint all Deputy Director of Agriculture and Project Executive Officer, Raipur as Licensing Officer within their jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक 54/कृषि पौ. सं./2001/14-2.—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) की धारा 20 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी, जो कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अर्हता रखते हों, को अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर कीटनाशी निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ; तथा

(2) यह निर्देश देती है कि प्रत्येक कीटनाशी निरीक्षक संचालक कृषि, संयुक्त संचालक कृषि, उप संचालक कृषि तथा परियोजना कार्यपालन अधिकारी के अधीनस्थ होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th April 2001

NOTIFICATION

No. 54/Agri-P/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 20 of the Insecticide Act, 1968 (No. 46 of 1968), the State Government, hereby :—

(1) Appoints all Senior Agriculture Development Officer and Agriculture Development Officer as Insecticide Inspector within their jurisdiction, those who possess the prescribed qualification under Insecticide Act; and

(2) Directs that the Insecticide Inspector shall be sub-ordinate to Director of Agriculture, Joint Director of Agriculture, Deputy Director of Agriculture and Project Executive Officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक 56/कृषि प्रकोष्ठ/2001/14-2.—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक कृषि कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में पदस्थ संयुक्त संचालक कृषि (पौध संरक्षण) को कीटनाशी के विनिर्माण/फारमूला/भण्डारण/विक्रय तथा प्रदर्शन के लिए राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th April 2001

NOTIFICATION

No. 56/Agri-P/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of Insecticide Act, 1968 (No. 46 of 1968), the State Government, hereby, appoints the Joint Director of Agriculture (Plan Protection) posted in Directorate of Agriculture, Government of Chhattisgarh to be the State Licensing Officer (Plan Protection) for manufacture/formulation/stock/sale and exhibit of pesticides.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. H. BEHAR, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.